

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान  
कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल – 462016  
फोन (0755) – 4082502

---

कार्यालय छात्रावासों एवं परिसर की साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिये मेनपॉवर व्यवस्था हेतु वर्ष 2020–21 में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया हेतु प्रपत्र एवं शर्तें

विवरण	दिनांक	समय
निविदा प्रारम्भ करने की तिथि	01.01.2021	11.00 AM
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	19.01.2021	5.00 PM
तकनीकी निविदा खुलने की तिथि	20.01.2021	11.00 AM
वित्तीय निविदा खुलने की तिथि	20.01.2021	11.00 AM
निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 2000/- जो ऑनलाइन भुगतान की जायेगी		

**म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान**  
**कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल – 462016**  
**फोन (0755) – 4082502**

क.वाल्मी / डब्ल्यू-10 / हाउसकीपिंग / 2020-21 /

भोपाल, दिनांक : / / 2020

कार्यालय, छात्रावासों एवं परिसर की साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिये मेनपॉवर व्यवस्था हेतु वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया हेतु अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये ई-निविदा के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रपत्र राशि रूपये 2000/- (अक्षरी राशि रूपये दो हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान कर दिनांक 04.01.2021 को प्रातः 10.30 बजे से दिनांक 18.01.2021 तक सायं 5.00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 19.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
2. निविदा हेतु अनिवार्य सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा ई.एम.डी.ऑनलाइन दिनांक 19.01.2021 को सायं 5.00 बजे तक बेवसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर अपलोड की जानी होगी। जिसका एक सेट (वित्तीय निविदा छोड़कर) हार्ड कापी में वाल्मी, भोपाल के अनुरक्षण शाखा में भी दिनांक 19.01.2021 को कार्यालय समय में जमा करना होगा। अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.01.2021 को प्रातः 11.00 AM बजे खोली जायेगी।
3. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोलने की कार्यवाही की जावेगी।
4. संचालक, वाल्मी भोपाल को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बातये अमान्य करने का अधिकार होगा।
5. निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं [www.mpwalmi.org](http://www.mpwalmi.org) वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

**प्रशासकीय अधिकारी**  
**वाल्मी, भोपाल**

**म.प्र. वाल्मी भोपाल में कार्यालय छात्रावासों एवं परिसर की साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य  
के लिये मैनपॉवर व्यवस्था हेतु  
निविदा फार्म वर्ष 2020-21**  
**भाग-1**  
**निविदाकार का विवरण**

1. एजेन्सी/फर्म का नाम
2. एजेन्सर/फर्म का पूरा पता एवं  
फोन नं./फेक्स नं./मो.नं.
3. एजेन्सी/फर्म मालिक/निविदाकर्ता  
का नाम एवं पता फोन नं. सहित
4. पंजीयन क्र. एवं दिनांक  
(श्रमायुक्त कार्यालय का).  
फोटोकापी संलग्न करें।
5. सर्विस टैक्स पंजीयन क्र. एवं  
दिनांक फोटोकापी संलग्न करें
6. एजेन्सी का वार्षिक टर्नओवर रूपये  
गत तीन वर्षों का ऑडिटेड रिपोर्ट  
(विगत 03 वर्षों का टर्नओवर  
रु. 200 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है  
अन्यथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी)
7. एजेन्सी/फर्म मालिक का पेन नं.  
फोटोकापी संलग्न करें।
8. एजेन्सी में वर्तमान में कार्यरत सफाई  
कर्मचारियों एवं सुपरवाइजर की संख्या
9. कम्पनी की मान्यता नं.
10. यदि कोई विधिक/दांडित प्रकारण  
एजेन्सी/फर्म के विरुद्ध न्यायालय  
में विचाराधीन है। हॉ/नहीं  
(यदि है तो पृथक से विवरण देवें)

**निविदाकर्ता के हस्ताक्षर**  
**प्रमाणीकरण**

मैं (नाम) ..... ने म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल की साफ सफाई हेतु निविदा सूचना का अवलोकन कर लिया और शर्तों का भी अध्ययन कर लिया है। मैं उनके पालन का वचन देता हूँ। मैंने कार्य हेतु वाल्मी के निर्दिष्ट परिसर का अवलोकन कर लिया है। परिशिष्ट क्र. 1 पर संलग्न निर्देशों के अनुसार वाल्मी के कार्यालय के कक्षों, बरामदों, सीढ़ियों, छत व सम्पूर्ण भवन, छात्रावास परिसर की साफ-सफाई हेतु ऑनलाइन दी गई प्रतिमाह दर पर कार्य आवंटन दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक कार्य करने के लिए सहमत होकर इस हेतु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। निविदा स्वीकृत होने पर निविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु वचनपत्र (Undertaking) प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा कार्य आवंटन अवधि में किसी भी प्रकार से राशि बढ़ाने की मांग नहीं की जावेगी। मुझे यह स्पष्ट है कि विभिन्न न्यूनतम निविदाकारों द्वारा समान राशि का सर्विस चार्ज कोट किये जाने पर जिस निविदाकार का गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम टर्न ओवर होगा, उसे कार्यादेश दिया जा सकेगा तथा इस संबंध में संचालक, वाल्मी भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

**नोट :** समस्त प्रपत्र तथा अंडर टेकिंग पर निविदाकर्ता फर्म के कार्यस्वामी अथवा उच्चस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

## प्रमाण पत्र

मैं (फर्म का नाम) ..... वाल्मी, भोपाल के भवन मे साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिये मेनपॉवर व्यवस्था हेतु निविदा भर रहा हूँ।

1. निविदा हेतु अमानत राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) संचालक, वाल्मी भोपाल के पक्ष में पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर दी गई है। जिसका ट्रांजेक्शन आई.डी. क्रमांक ..... है।
2. उक्त कार्य करने की संस्था को न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	शासकीय कार्यालय/उपक्रम का नाम	कार्य करने की अवधि	कुल कार्यरत मेनपॉवर
1	2	3	4

नोट : संस्था को हाउसकीपिंग कार्य संबंधी शासकीय कार्यालयों (केन्द्रीय/म.प्र. शासन/म.प्र. शासन के उपक्रम) में कार्य करने का 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। उपर्युक्त कॉलम 4 के विभिन्न शासकीय कार्यालय/उपक्रम के कार्यादेश संलग्न करें।

विगत 03 वर्षों का टर्नओवर रु. 200 लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है अन्यथा वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व पता

## वाल्मी, भोपाल भवन, छात्रावासों एवं परिसर की साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिये मेनपॉवर व्यवस्था के कार्य का विवरण एवं निर्देश :—

1. वाल्मी के प्रशासकीय संकाय, छात्रावासों, कम्प्युनिटी हॉल के बरामदे, मूत्रालय, शौचालयों, अटैच टॉयलेट्स, सीढ़ियों, रेलिंग आदि की सफाई, फिनाइल के पोंछे लगाकर, प्रतिदिन की जाना होगी। कक्षों तथा गलियारों में स्थित दरवाजों, खिड़कियों, पार्टीशन, पैनल, ग्लास, पैनल, मेज, कुर्सी अन्य फर्नीचर, डस्टबिन, गमले, थूकदान आदि की भी प्रतिदिन सफाई करनी होगी। भवन की छत, ऑगन परिसर की सड़कों एवं गैरिज की भी प्रतिदिन सफाई करनी होगी। समस्त कक्षों के बरामदों, गलियारों, सीढ़ियों, दरवाजे एवं गैरिजों आदि के जाले निकालने का कार्य प्रति सप्ताह करना होगा। प्रति रविवार सभी तलों, सीढ़ियों, बरामदों आदि की धुलाई करना होगी।
2. मूत्रालय, शौचालय एवं बरामदे दिनभर साफ रखे जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
3. अधिकारियों एवं छात्रावास के कक्षों के अटैच टॉयलेट को अच्छी तरह साफ रखे जाने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की ही होगी।
4. अधिकारियों के कक्षों में स्थिति शौचालयों में तौलिया प्रति 3 दिवस में धुलवायें जायें।
5. कार्यालय भवन के चारों तरफ के परिसर की प्रतिदिन सफाई करनी होगी।
6. कार्यालयकी छत पर रखी पानी की सभी टंकियों की सफाई 15 दिन में एक बार करनी होगी।
7. कार्यालय एवं छात्रावास की साफ सफाई का कार्य प्रतिदिन प्रातः 7.00 बजे से सायंकाल 6.00 बजे तक किया जायेगा। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त समय में भी साफ-सफाई पूर्ण करनी होगी। भोजनालय में रात्रि भोजन के उपरान्त साफ सफाई की जाना अनिवार्य है।
8. मूत्रालयों एवं शौचालयों की साफ सफाई में अच्छी गुणवत्ता की फिनाइल से सफाई की जावेगी एवं सुगंध हेतु नेप्था बॉल एवं लिकिवड का उपयोग किया जायेगा। कमरों में रूम फ्रेशनर का प्रयोग प्रतिदिन किया जायेगा। समय-समय पर पेस्ट कंट्रोल भी किया जायेगा। यूरिनिल के पॉट के छिद्र तथा नालियां चोक नहीं हो इसके लिये प्रतिदिन इनकी विशेष सफाई सुनिश्चित की जाये। सभी टोंटियां नियमित रूप से चेक करनी होंगी की वह ठीक से काम कर रहीं है, अथवा नहीं, पानी का दुरुपयोग रोका जाना भी निविदाकार की जिम्मेदारी होगी।
9. साफ सफाई इस प्रकार की जायेगी ताकि यूरिनिल पॉट पाइप एवं शौचालय आदि सुरक्षित रहें।
10. सभी सफाई करने वाले मेन पावर को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा वे कार्य की सफाई करते समय कक्षों में रखे अभिलेखों उपकरणों आदि से अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करेंगे यदि किसी अभिलेख उपकरण आदि को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की वसूली ठेकेदार से की जाएगी।
11. निविदाकार सफाई की निविदा दरें निर्धारित करने के पूर्व वाल्मी परिसर का भ्रमण कर कार्य की मात्रा का अवलोकन कर सकेंगे।
12. छात्रावासों के कक्षों में सुबह 7.00 से 9.00 के मध्य समस्त कक्ष एवं शौचालयों की सफाई पूर्ण की जाना होगी।
13. भोजनालय एवं डाइनिंग हॉल की सफाई प्रातः नाश्ते से पूर्व एवं पश्चात्, दोपहर भोजन के पश्चात् एवं रात्रि भोजन के पश्चात् की जाना सुनिश्चित होगा।
14. समस्त कचरे का निष्पादन निर्देशानुसार परिसर के बाहर निर्दिष्ट स्थल पर किया जाना होगा।
15. संस्थान के कार्यालय, छात्रावासों एवं आवासीय क्षेत्र की सीवर लाइनों एवं चेंबरों की समय-समय पर आवश्यकता अनुसार चोक होने पर सफाई करना होगा।
16. आवश्यकता होने पर वाल्मी परिसर के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के निवास कार्यालयों पर भी कार्य हेतु आदेशित किया जा सकता है।

**वाल्मी, भोपाल भवन, छात्रावासों एवं परिसर की साफ सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिये  
मेनपॉवर व्यवस्था के हेतु निविदा की शर्तेः—**

1. साफ-सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन 26 मेनपॉवर 01 सुपरवाइजर लगाये जाने हेतु निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। एक लिफाफे में अनुभव एवं अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतियां एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) संचालक, वाल्मी को देय का ऑनलाइन का प्रमाण रखना होगा।
2. निविदाकर्ता को किसी सामान आकार के 3 शासकीय कार्यालय या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में साफ-सफाई/रखरखाव के कार्य का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
3. साफ सफाई ठीक ढंग से एवं नियमित रूप से होती री इसकी देखरेख हेतु एक सुपरवाइजर की व्यवस्था निविदाकार को करनी होगी।
4. निविदाकर्ता को साफ-सफाई कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के नामों की सूची उनकी व्यक्तिगत जानकारियों सहित अनुरक्षण शाखा में कार्यालय के पूर्व में देना अनिवार्य होगी, कर्मचारियों की बदली पर भी उपरोक्तानुसार सूची देनी होगी। कोई भी कर्मचारी संदेहास्पद चरित्र व आचरण के नहीं रखे जाएंगे, इसका भी प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
5. साफ सफाई सफाई कार्य हेतु जो सफाई कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा लगाए जाएंगे उन कर्मचारियों की कार्यालय में आने व जाने के समय एवं आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मियों द्वारा कभी भी तलाशी ली जा सकेगी।
6. अवकाश के दिवसों में साफ सफाई नियमित रूप से करनी होगी।
7. आवश्यकता पड़ने पर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में फर्नीचर एवं अलमारियां आदि स्थानांतरित करना होता है तथा कई बार पूरा कक्ष फर्नीचर एवं रिकॉर्ड सहित दूसरे कक्ष में स्थानांतरित किया जाता है ऐसी स्थिति में निविदा करता को सफाई कर्मियों से ही उक्त कार्य को कराना होगा। इस कार्य हेतु पृथक से कोई राशि नहीं दी जायेगी।
8. कार्य आवश्यकता की दृष्टिगत मेन पावर में आवश्यक संख्या में महिला एवं पुरुषों को नियोजित किया जाएगा।
9. साफ सफाई कार्य हेतु उपयोग में आने वाली सामग्री निर्धारित मापदंड के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रतिमाह ठेकेदार द्वारा ही साफ सफाई कर्मचारियों को प्रदाय की जाना होगी। प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण संरक्षण के इस हेतु अधिकृत व्यक्ति से करवाना होगा निरीक्षण के दौरान यदि अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा अथवा जुर्माना निरूपित किया जाएगा।
10. संचालनालय के किसी अधिकारी से उचित साफ सफाई व्यवस्था नहीं होने की शिकायत आने पर या निरीक्षण के दौरान लापरवाही एवं अनियमितता पाए जाने की स्थिति में मासिक भुगतान के 10 प्रतिशत राशि का कटोत्रा किए जाने की शास्ति लगाई जावेगी वर्ष में दो बार ऐसी स्थिति निर्मित होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध निरस्त होने पर इस संबंध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी एवं ठेकेदार द्वारा जमा बैंक गारंटी राजसात की जाएगी एवं ब्लेकलिस्टेड किया जायेगा।
11. संरक्षण द्वारा जारी आदेश निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
12. प्रत्येक माह का सफाई एवं अन्य कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ही माह के पूर्ण होने पर प्रस्तुत देयक के भुगतान हेतु कार्यवाही की जावेगी।
13. प्रत्येक माह का सफाई एवं अन्य कार्य संतोषजनक पायेजाने पर ही माह के पूर्ण होने पर प्रस्तुत देयक के भुगतान हेतु कार्यवाही की जावेगी।
14. ठेकेदार निर्धारित अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेंगे और यदि बीच में कार्य छोड़ गया तो नवीन ठेके से शासन को होने वाली क्षति की वसूली ठेकेदार की जायेगी।

15. साफ सफाई का ठेका कार्य आवंटन आदेश जानी होने की दिनांक से आगमी एक वर्ष तक के लिये होगा। अच्छी सेवायें प्रदाय करने की स्थिति में उभय पक्षीय सहमति से आगामी दो वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी। ठेकेदार को बढ़ाई गई अवधि का कार्य उक्त अनुबंध की दर पर ही करना होगा।
16. ठेकेदार को निविदा स्वीकृत होने पर संलग्न प्रारूप में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी तथा अनुबंध संपादित प्रारंभ होने वाली दिनांक को संचालक वाल्मी भोपाल के नाम से रु. 500000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) बैंक गारंटी सुरक्षा राशि के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना होगी ठेके की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में यह राशि राजसात की जा सकेगी।
17. निविदा स्वीकृति या अवीकृत करने का संपूर्ण अधिकार संचालक वाल्मी भोपाल का होगा और इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार संचालक वाल्मी भोपाल का होगा और निर्णय ठेकेदार बंधनकारी होगा।
19. निविदा स्वीकृत हो जाने पर कार्य आदेश का पालन आदि निविदाकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है तो बैंक गारंटी की राशि रु. 500000/- (रूपये पाँच लाख मात्र) राजसात कर लिया जावेगा तथा प्रथम स्वीकृत निविदा के बाद आगामी निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रथम निविदाकर्ता द्वारा प्रदत राशि के आधार पर कार्य किया जाना स्वीकार करने पर कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा।
20. न्यूनतम मजदूरी भुगतान एवं श्रम नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। संस्थान से कोई अतिरिक्त राशि देनी होगी। शासन के प्रचलित नियम अनुसार कर्मचारी बीमा एवं अन्य आदि ठेकेदार को ही कराना होगा।
21. यदि विभिन्न न्यूनतम निविदाकारों द्वारा समान राशि का सर्विस चार्ज कोट किया जाता है तो जिस निविदाकार का गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम टर्नओवर होगा उसे कार्य किया जा सकेगा तथा इस संबंध में संचालक, वाल्मी का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक  
वाल्मी, भोपाल

## ई—निविदा में भाग लेने हेतु दिशानिर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स/कम्पनियों/सरथानों/एजेन्सियों को सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीयन [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर करना होगा जिसकी फीस रु. 500/- होगी (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) देय होगी। जिसके आधार पर निविदाकार ई निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह रजिस्ट्रेशन के पश्चात निविदाकार मध्यप्रदेश शासन के किसी भी ई निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है। पूर्व से पंजीकृत होने की स्थिति में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है।
2. प्रोसेसिंग फीस रु. 285/- (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) होगी। इसका भी ईपेमेंट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।
3. अमानत राशि जो निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान करना होगा।
4. निविदा कार वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पोर्टल पर लॉगइन करके रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन फीस प्रोसेसिंग फीस एवं अमानत राशि जमा करके ई निविदा में भाग ले सकेगा। निविदा कार स्वयं यह समाधान कर ले कि वह ऑनलाइन खोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।
5. ई निविदा प्रक्रिया हेतु पोर्टल पर पंजीयन करने भुगतान प्रक्रिया तथा ईनिविदा प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नंबर 18002588684 (टोल फ्री) पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी [eproc\\_helpdesk@mpsdc.gov.in](mailto:eproc_helpdesk@mpsdc.gov.in) पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।
6. निविदा खोले जाने के पूर्व दिनांक को सायं 5.30 बजे तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रकृति तथा ई.एम.डी. का डिमांड ड्राफ्ट वाल्मी भोपाल के अनुरक्षण शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट की अनुपलब्धता पर निविदा अमान्य की जावेगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
7. निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) एवं [www.mpwalmi.org](http://www.mpwalmi.org) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

## अंडरटेकिंग

वाल्मी, भोपाल के ज्ञाप कमांक ..... दिनांक ..... द्वारा संस्था ..... को दिनांक ..... से ..... तक की अवधि के लिए प्रदान किए गए साफ सफाई कार्य के ठेके के तहत कार्य आदेश पत्र में वर्णित शर्तों एवं निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुबंधकर्ता संस्था को कार्य करना स्वीकार है।

1. अनुबंध ठेके के प्रारंभ में ही साफ सफाई कार्य में लगाए गए कर्मचारियों के नामों की सूची उनकी व्यक्तिगत जानकारियों प्रशासकीय अधिकारी, वाल्मी भोपाल को प्रदान की जाएगी। संदेहास्पद चरित्र एवं आचरण के किसी कर्मचारी को कार्य में संलग्न नहीं किया जायेगा।
2. साफ सफाई की नियमितता एवं स्वच्छता सुपरवाइजर की अतिरिक्त रूप से व्यवस्था की जानी होगी।
3. साफ सफाई कार्य हेतु लगाये गये कर्मचारियों की कार्यालय में आने व जाने के समय अथवा आवश्यतानुसार किसी भी समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा तलाशी ली जा सकेगी।
4. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों को सेवा प्रदाता द्वारा परिचय पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसके आधार पर ही साफ सफाई कार्य हेतु कार्यालय में प्रवेश दिया जाएगा तथा सेवा प्रदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को यूनिफॉर्म प्रदत्त की जानी होगी जिसे सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से पहनकर ही कार्यालय में आना अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म में नहीं पाये जाने पर रु. 200/- प्रति कर्मचारी प्रतिदिन का अर्थदण्ड प्रभारित किया जायेगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर एक कक्ष से दूसरे कक्ष में कुछ फर्नीचर एवं अलमारी स्थानांतरित करने अथवा पूरे कक्ष के फर्नीचर एवं रिकॉर्ड को दूसरे कक्ष में ट्रांसफर करने का कार्य भी साफ सफाई कर्मियों द्वारा किया जाएगा इसके लिए कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा।
6. अवकाश दिवसों में भी साफ सफाई नियमित रूप से की जाएगी।
7. साफ सफाई कार्यों के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्धारित मापदंड के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रतिमाह ठेकेदार द्वारा ही साफ सफाई कर्मचारियों को प्रदाय किया जाएगा। प्रदाय की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण वाल्मी के सहायक यंत्री अथवा अन्य अधिकारी से कराया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा में साफ सफाई सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
8. साफ सफाई एवं अन्य कार्य के दौरान कार्यालय की किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंचती है तो क्षति की भरपाई संबंधित सेवा प्रदाता से की जाएगी।
9. शौचालय में साफ सफाई के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि सभी प्रकार की फिटिंग एवं पाईप यथा स्थान रहे ताकि पानी की निकासी व्यवस्थित रहे।
10. निर्दर्गशानुसार आदेशित करने पर उच्च कुशल, कुशल एवं अद्वकुशल एवं अकुशल कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।
11. संस्थान की उचित साफ सफाई न होने पर किसी अधिकारी से शिकायत आने पर या निरीक्षण के दौरान लापरवाही एवं अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी जिसका कदौत्रा मासिक देयक में से किया जा सकेगा। किंतु यह कटौत्री किसी एक माह में रुपए 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।
12. अनुबंधकर्ता संस्था अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगी। यदि बीच में संस्था द्वारा कार्य छोड़ गया तो नवीन ठेके से शासन को होने वाली क्षति की वसूली संस्था से की जाएगी।

13. साफ सफाई के इस ठेके के स्वीकृतत आदेश में दर्शाई गई अवधि के बाद यदि नया ठेका देने की प्रक्रिया में कुछ देर हुई तो चल रहे ठेके की अवधि आगामी आदेश तक बढ़ाई जा सकेगी और इसी बढ़ाई गई अवधि में भी सभी कार्य उक्त अनुबंध की दर एवं शर्तों पर ही करना संस्था को स्वीकार होगा।
14. नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन एवं कल्याण के संबंध में शासन के सभी नियम/निर्देश/अधिनियम का पालन संस्था द्वारा किया जाएगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संस्था द्वारा संलग्न किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में भुगतान रोका जा सकेगा।
15. कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम वेतन पर कोई कर्मचारी नियोजित नहीं किया जाएगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न किया जाएगा।
16. कार्य संतोषजनक पाए जाने पर दोनों पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

हस्ताक्षर प्रोपराइटर

**कार्यालय छात्रावासों एवं परिसर की साफ—सफाई एवं अन्य अनुषांगिक कार्य के लिए मैन  
पावर व्यवस्था हेतु वर्ष 2020–21 में ऑनलाइन टेंडर हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र**

<b>क्र.</b>	<b>विवरण</b>	<b>प्रतिमाह दर</b>
1	निविदा में उल्लेखित शर्तों अनुसार सुपरवाइजर (सभी अर्धकुशल) एवं सफाईकर्मी एवं अन्य (कुशल) की मासिक भुगतान की जाने वाली राशि	न्यूनतम मजदूरी दर
2	क्र. 1 अनुसार कर्मियों का कुल ई.पी.एफ. राशि	नियमानुसार
3	क्र. 1 अनुसार कर्मियों का कुल ई.एस.आई. राशि अथवा अन्य राशि	नियमानुसार
4	एजेंसी का सेवा शुल्क रूपये में	
5	कुल सर्विस टैक्स राशि रूपये	नियमानुसार
6	निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों अनुरूप सफाई कार्य हेतु प्रतिमाह प्रयुक्त होने वाली सामग्री की लागत	

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान  
कलियासोत बांध, कोलार रोड, भोपाल – 462016  
फोन (0755) – 4082502

---

## कार्यस्थल का विवरण

- प्रशासकीय भवन
- संकाय भवन
- छात्रावास (भोज परिसर क्र. 1,2 एवं 3)
- परिसर का समस्त खुला क्षेत्र (सड़क एवं लॉन आदि)

निविदाकर्ता अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व वाल्मी परिसर का भ्रमण कर कार्य की मात्रा का अवलोकन अवश्य कर लें।